

प्रेम्क

निदेशक सैक्टर विद्या हरियाणा ।

सेवा में

जिना विद्या अधिकारी,
पंचकुला ।

सं. सं. क्र. 4/17-95 दिनांक 11/11/95

दिनांक 11/11/95

विषय:- 10 जमा 2 विद्या पूर्णाती गुरु करने की अनुमति प्रदान करना ।

विभागीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश को देखते हुये न्यू इण्डिया, विद्यालय सैक्टर-15, पंचकुला को शैक्षिक वर्ष 1996-97 से 10 जमा 2 विद्या पूर्णाती प्रेषण तथा जमा 2 जमा में आर्ट तथा कान्स संकाय प्रारम्भ करने की स्पष्ट अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 विद्या पूर्णाती हेतु राज्य सरकार विभाजन से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद उत्पत्ति की मांग नहीं करेगे और इतने बड़े नार्मे अनुसार छात्र/छात्राओं को अंगीकृत सभी आवश्यक साधन/सुविधाये अपने खर्चे पर ही उपलब्ध करावेंगे । 10 जमा 2 विद्या पूर्णाती को सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एम.एड./एच.एड. के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा तद्विद्या के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियाँ भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी ।
2. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि वा उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।
3. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे। इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ।
4. विद्यालय को हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की सभी शर्तों का पालना करना होगा ।

Principal

New India Sr. Sec. School
Sector-15, Panchkula (Hry.)

31/11/95

-2-

10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय अपना संशोधन शुरू किये जायेंगे जिनकी होचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाएँ विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा ^{प्रदान} की गई हो ।

7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों/निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जायेगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों ।

11. स्टाफ को वेतन बैंक बैंक के द्वारा ही दिया जायेगा ।

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायेगी ।

13. संस्था में कार्यरत ^{स्टाफ} की छः मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम बैंक में प्लेज करवाई जायेगी । प्रबन्धकों को विद्यालय निरीक्षण कमेटी की सिफारिश अनुसार समये 65000/- की और राशि तीन त्रैमासिक क्रियाओं में जिला शिक्षा अधिकारियों के नभम प्लेज करवानी होंगी और प्रति बट्टे सेना नहीं करते तो प्रदान की जा रहा अनुमति वापिस ले ली जायेगी ।

14. विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय रीटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।

Ser
उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

पृष्ठों का क्रमांक सम दिनांक: 9.7.98
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक न्यू इण्डिया उच्च विद्यालय सैक्टर-15, पंचकुला ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

[Signature]
उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

[Signature]
Principal
New India Sr. Sec. School
Sector-15, Panchkula (Hry.)